

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 फरवरी 2025—माघ 21, शक 1946

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2025

क्र. एफ. 3-27-2018-तेरह-04.—मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025) के नियम-1 का उप नियम-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा 10 फरवरी, 2025 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको कि उक्त अधिनियम के नियम-3 की अनुसूची के सरल क्रमांक 1 में अंकित मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 में किया गया संशोधन प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज मण्डलोई, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2025

क्र. एफ. 3-27-2018-तेरह-04.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 3-27-2018-तेरह-04, दिनांक 10 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज मण्डलोई, अपर मुख्य सचिव.

Bhopal, the 10<sup>th</sup> February 2025

No. F. 3-27-2018-XIII-04.—In exercise of powers conferred by sub-rule-2, of rule-1 of the Madhya Pradesh Jan Vishwas (Amendment in provisions) Adhinyam, 2025 (No. 1 of 2025), the State Government hereby declare 10<sup>th</sup> February, 2025 as the date on which the amendment made in the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhinyam, 2012 specified in serial number 1 of the Schedule to rule 3 of the said Act, shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

NEERAJ MANDLOI, Addl. Chief Secy.